



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स-0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 4466 / अका. / सम्बद्धता / 2015

रायपुर, दिनांक : 14/08/2015

॥ आदेश ॥

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 13.08.2015 की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 14.08.2015 के अनुमोदनानुसार महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, गांधी चौक, रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.) को निम्नानुसार दर्शित कक्षा/विषय (नए विषय एवं सीट वृद्धि) एवं सत्र के लिए अस्थाई सम्बद्धता सशर्त प्रदान की जाती है:-

क्र.	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
1.	नवीन विषय M.A. English (Previous) (25 seats)	25	2015-16
2.	सीट वृद्धि P.G.D.C.A. (पूर्व संचालित सीट 60) (सीट वृद्धि - 20)	80	

शर्त :-

- विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 13.08.2015 के निर्णय एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 14.08.2015 में हुए अनुमोदनानुसार महाविद्यालय को शासन के पत्र क्रमांक 1933/1307/2013/38-2 दिनांक 31.05.2013 के द्वारा नवीन M.A. English (Previous) एवं सीट वृद्धि - P.G.D.C.A. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। शासन के उक्त आदेश में उल्लेखित शर्तों का पालन न करने एवं भविष्य में शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
 - छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
 - प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।
 - शिक्षकों/कर्मचारियों को नियमानुसार पूर्ण वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से की जावे।
 - समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
 - निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है।
 - परिनियम 28 के तहत न्यूनतम शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति आदेश निर्गमन की तिथि से तीन माह के भीतर पूर्ण करें।
 - जाँच प्रतिवेदन के भाग 'ब' में दर्शित कमियों (प्रति संलग्न) की पूर्ति महाविद्यालय में पाठ्यक्रम प्रारंभ होने के पूर्व तक करेंगे।
- उक्त शर्तों की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जाएगी।

पृ. क्रमांक : 4467 / अका. / सम्बद्धता / 2015
प्रतिलिपि :-

आदेशानुसार,
उप कुलसचिव (अका.)
रायपुर, दिनांक : 14/08/2015

- आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन नया रायपुर (छ.ग.)।
- संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
- संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को।
- संचालक, शारीरिक शिक्षा/विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययन शाला,
- स.कु.स. परीक्षा/परीक्षा सेमेस्टर/नामांकन/उ.कु.स. गोपनीय/वित्त नियंत्रक/विकास,
- अध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययनशाला को इस निवेदन के साथ की इसे विश्वविद्यालय के वेबसाईट में सूचनार्थ Up-Load करें,
- कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।

उप कुलसचिव (अका.)

भाग "ब"

भाग 'अ' में दी गई जानकारी के सत्यापन के बाद निरीक्षण समिति द्वारा भरा जाए।

प्रस्तावित पाठ्यक्रम के संचालन के लिए निरीक्षण समिति का बिंदुवार प्रतिवेदन।

प्रतिवेदन में अनुशंसा न की जाए अपितु पात्रता/अपात्रता का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। कमियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए,

जन्हें सम्बद्धता के लिए शर्त के रूप में मान्य किया जा सके।] आठ दिनांक 10.8.2015 को मंडल अध्यक्ष श्री इमीनाराजरावस मंडल निरीक्षण किया और पाया:

1. महाविद्यालय में 25 क्लास रूम 2 Hall हैं। अध्यासंरचना पर्याप्त है।
2. कम्प्यूटर फ़ंक्शन शाला में 9 और कम्प्यूटरो की आवश्यकता है।
3. समुचित संख्या में लाइब्रेररी के लिए साफ्टवेयर ख़रीद करने की आवश्यकता है।
4. पुस्तकालय में पाठ्यक्रम के अनुसार समुचित संख्या में standard पुस्तको का ख़रीद करने की आवश्यकता है।
5. परिचालन 28 में कम्प्यूटर और इंजीनी के 2-2 निम्नलिखित करने की आवश्यकता है।

निरीक्षण समिति के संयोजन का नाम एवं हस्ताक्षर : Dr. Sanjay Kumar

निरीक्षण दल के सदस्यों के हस्ताक्षर - नाम- पता :
 Dr (Smt) Kirati Jaisani
 Dr (Smt) Shukla Banerjee 10/8/2015

विषय विशेषज्ञ/विशेषज्ञों के हस्ताक्षर एवं नाम-पता :
 1 _____
 2 _____ (K. Jaisani) 10/8/2015

नांक _____
 ति, _____
Sanjay
 10-08-2015

कुलसचिव,
 पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
 रायपुर (छ.ग.)

(Dr. Sanjay Kumar)